कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक–4657/12–1, कोटबंगला, दिनांक 28/06/2024

सेवा में,

महाप्रबन्धक, (परियोजना),
एन0एच0आई0डी0सी0एल0,
पी0एम0यू0, होटल हिम पैलेस, मातली,
उत्तरकाशी।

विषय :– **जनपद उत्तरकाशी में चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 134 (धरासू–यमुनोत्री रोड़ पुराना राजमार्ग–94) के किमी0 24.300 से किमी0 51.900 तक सिलक्यारा बैण्ड पर सुरंग निर्माण हेतु 25.825 हे0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लि0 को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का कार्यालय पत्रांक– 8बी/यू0सी0पी0/06/54/2017/I/75044/2024, दिनांक– 21.06.2024।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण के विद्युतीकरण एवं यांत्रिक कार्यों के सम्पादन हेतु नियंत्रण भवन एवं अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त 50 वृक्षों के पातन की अनुमति चाही गई, जिसके उपरान्त प्रकरण को चर्चा हेतु Regional Empowered Committee की बैठक दिनांक– 21.05.2024 में रखा गया एवं प्रस्ताव पर आरईसी की संस्तुति होने के उपरान्त उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त अनुमोदन की शर्त संख्या– 02 के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों के दस गुना वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा वांछित धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जायेगी।

उक्त शर्त संख्या–02 के अनुपालन में काटे जाने वाले 50 वृक्षों के दस गुना वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु डिमाण्ड नोट निम्नानुसार है–

क्र0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5
1	काटे जाने वाले 50 वृक्षों के दस गुना यानि 50X10=500 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु।	500 वृक्ष	1771 रू0 प्रति वृक्ष	885500.00

अतः उपरोक्तानुसार जमा किये जाने वाली धनराशि रू0 **885500.00** का चालान जनरेट कर ऑनलाईन नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि की चालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही समय से की जा सके।

भवदीय,

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक 4657/12-1/ तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि –

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।